अनुपूरक बजट
अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकः प.4(1) वित्त–1(1) आ.व्य./2025 जयपुर, दिनांक : 07 जनवरी, 2026

परिपत्र

विषय :– वर्ष 2025–26 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन)।

1. राजस्थान विधान सभा के आगामी सत्र में वर्ष 2025–26 की अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रस्तुत की जानी हैं। इन मांगों के अन्तर्गत उन नई सेवाओं /व्ययों से सम्बन्धित मांगें सम्मिलित की जावेंगी जो वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक अनुमान (बजट) में सम्मिलित नहीं की गई थी या जिसके लिए प्रावधित राशि से अधिक व्यय करने हेतु अथवा उसका समायोजन करने के लिए विधान सभा द्वारा प्राधिकृत किया जाना अत्यावश्यक है।

2. अतः समस्त बजट नियन्त्रण अधिकारी अपने नियन्त्रणाधीन विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आवंटित निधियों की समीक्षा कर मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष का पूर्ण उल्लेख करते हुए बजट नियमावली खण्ड–1, वर्ष 2012 के अध्याय 23 के साथ पठित परिशिष्ठ 13 में उल्लेखित प्रपत्र में 'आधिक्य तथा बचत' का एक विवरण तैयार करावें तथा जहां कहीं भी अपेक्षित हो, वर्ष 2025–26 की अनुपूरक अनुदान की मांगों के लिए आवेदन बजट नियमावली के अध्याय 24 के साथ पठित परिशिष्ठ 14 में उक्त 'आधिक्य तथा बचत' विवरण संलग्न करते हुए वित्त विभाग के बजट अनुभाग को दिनांक **23 जनवरी, 2026** तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। प्रत्येक मांग के लिए आवेदन पत्र अलग–अलग होना चाहिए, जैसा कि वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक अनुमानों में अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगों की अनुसूची में दर्शाया गया है। 'आधिक्य तथा बचत' के विवरण की एक प्रति प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को भी पृष्ठांकित की जानी अपेक्षित है।

3. 'राजस्थान आकस्मिकता निधि' से इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति भी अनुपूरक मांगों द्वारा की जानी है। आकस्मिकता निधि से अग्रिम के आवेदन, अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रस्तुत करने के पश्चात् स्वीकार नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व पुनः अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होता है। अतः वित्तीय वर्ष 2025–26 की समाप्ति तक की सभी सम्भावित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनुपूरक अनुदान की मांगों के प्रस्ताव उक्त निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

4. राज्य सरकार द्वारा घोषित नवीन योजनाऐं एवं अन्य घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु यदि किन्हीं प्रकरणों में बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं हैं तो ऐसे सभी प्रकरणों (नवीन सेवा सहित) के प्रस्ताव भी अनुपूरक मांगों में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रेषित किए जाना अपेक्षित है।

5. स्वीकृत की गई अतिरिक्त निधियों का उपयोग नहीं किए जाने अथवा स्वीकृत निधियों से अधिक व्यय किए जाने पर प्रधान महालेखाकार / 'जन लेखा समिति' द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियां की जाती हैं। प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस ओर निरन्तर आकर्षित किया जाता रहा है कि पूर्व वर्षों में अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करने तथा वास्तविक आवश्यकता से अधिक निधियां समर्पित

करने में कतिपय बजट नियन्त्रण प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई है। अतः यह देखना बजट नियन्त्रण प्राधिकारियों का दायित्व होगा कि मांगी गई अनुपूरक मांगें आवश्यकता से न तो अधिक हों और न ही कम हों।

6. केन्द्र सरकार या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त अथवा प्राप्त की जाने वाली सहायता की सीमा तक उपदर्शित करने वाली राशियों के साथ स्वतः स्पष्ट टिप्पणी, उस सहायता की स्वीकृति की प्रति तथा वर्ष 2025–26 के मूल अनुमानों में मांगों को सम्मिलित नहीं करने के कारणों से भी अवगत करावें।

7. वित्त विभाग को एक बार 'आधिक्य तथा बचत' का विवरण भेज दिए जाने के पश्चात् समर्पित बचत को वित्त विभाग के आय–व्ययक अनुभाग के सिवाय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुनर्विनियोजन किया जाकर उपयोग में लिया जाना अनुमत नहीं है।

8. कृपया उक्त प्रस्ताव निर्धारित **दिनांक 23.01.2026** तक भिजवाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

06/01/26

(राजन विशाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदया (वित्त)
3. विशिष्ट सहायक/उपमुख्यमंत्री/ मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक /लेखा परीक्षा I / II) राजस्थान, जयपुर
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव, वित्त विभाग
10. प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपुर/जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

(01/2026)